



पुलिस आयुक्त कार्यालय दिल्ली :  
पुलिस मुख्यालय, जय सिंह रोड, नई दिल्ली - 110001  
दूरभाष : 011-20818716, ई :मेल-cntphq-dl@nic.in

आदेश

यह सूचित किया गया है कि कुछ आपराधिक, असामाजिक तत्व अथवा भारतविरोधी - आतंकवादी तत्व पैराग्लाइडर, पैरामोटर, हैंग-ग्लाइडर, UAV, UAS, माइक्रोलाइट विमान, माइक्रोलाइट फ्लाईंग, रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट, हॉट एयर बैलून, छोटे आकार के संचालित विमान, क्वाडकोप्टर आदि जैसे उपपारंपरिक हवाई प्लेटफॉर्मों का उपयोग करके अथवा विमान से पैराशूट द्वारा छलांग लगाकर, पतंग उड़ाकर तथा गुब्बारा विज्ञापन आदि के माध्यम से आम जनता, गणमान्य व्यक्तियों तथा महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं।

अतः, मैं, अनुराग कुमार, पुलिस आयुक्त, दिल्ली, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 साथ पढ़ें MHA नोटिफिकेशन S.O.No.422/E/ तारीख 01.07.1978 जो कि दिल्ली पुलिस अध्यादेश, 1978 (दिल्ली पुलिस एक्ट, 1978 से प्रतिस्थापित) की धारा 70 की उप-धारा (1) के खंड (a) के तहत जारी है, के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी में BRICS-2026 के मौके पर NCT दिल्ली के अधिकार क्षेत्र में पैरा-ग्लाइडर, पैरा-मोटर, हैंग-ग्लाइडर, UAV, UAS, माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट, माइक्रोलाइट फ्लाईंग, रिमोट से उड़ाए जाने वाले एयरक्राफ्ट, हॉट एयर बैलून, छोटे आकार के पावर्ड एयरक्राफ्ट, क्वाडकोप्टर जैसे सब-कन्वेंशनल एरियल प्लेटफॉर्म उड़ाने, या एयरक्राफ्ट से पैरा-जंपिंग करने, पतंग उड़ाने और बैलून से विज्ञापन करने आदि पर रोक लगाता हूँ। ऐसा करना भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत दंडनीय होगा।

चूँकि इस नोटिस को सभी संबंधित व्यक्तियों को व्यक्तिगत रूप से तामील करना संभव नहीं है, अतः यह आदेश एकपक्षीय (Ex-parte) रूप से पारित किया जाता है। जनता की जानकारी के लिए इसे प्रेस के माध्यम से प्रकाशित किया जाएगा तथा सभी उपायुक्त पुलिस /अतिरिक्त उपायुक्त पुलिस/सहायक आयुक्त पुलिस के कार्यालयों, तहसील कार्यालयों, सभी पुलिस थानों तथा NDMC/MCD/PWD/DDA/दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड के कार्यालयों के सूचना पट्टों पर इसकी प्रतियाँ चस्पा की जाएँगी।

यह आदेश 10.09.2026 से प्रभावी होगा और 14.09.2026 तक (दोनों तिथियाँ सम्मिलित), अर्थात् कुल 05 दिनों की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा, जब तक कि इसे इससे पहले वापस न ले लिया जाए।

**अनुराग**

(अनुराग कुमार)  
पुलिस आयुक्त  
दिल्ली

क्रमांक : 34789 - 999 /समंवय शाखा-I(डेस्क-IV)/पु.मु.दिनांक : 09/09/2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जाती है:-

1. गृह सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
3. माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली के सचिव।
4. समस्त सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
5. उप निदेशक, इंटेलिजेंस ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, दिल्ली।
6. संयुक्त निदेशक, दिल्ली पुलिस अकादमी सहित समस्त विशेष पुलिस आयुक्त संयुक्त/पुलिस आयुक्त/ अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, दिल्ली।
7. समस्त स०आ०पु०/थाना प्रभारी/निरीक्षक को प्रेषित करने हेतु, निदेशक दिल्ली पुलिस अकादमी एवं एफआरआरओ सहित समस्त उपायुक्त पुलिस/अति० उपायुक्त पुलिस जिला/इकाई/आदेश की एक प्रति संबंधित कार्यालयों के सूचना पट्टों पर चस्पा कराई जाए।  
(प्रत्येक जिले के लिए 20 प्रतियाँ तथा प्रत्येक इकाई के लिए 10 प्रतियाँ)
8. अतिरिक्त उपायुक्त पुलिस-मुख्यालय/II, दिल्ली।
9. सचिव, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद को 2 प्रतियाँ, इस अनुरोध के साथ कि आदेश की एक प्रति समिति के कार्यालय के बाहर स्थित सूचना पट्ट पर चस्पा कराई जाए।
10. आयुक्त, नगर निगम दिल्ली को निगम कार्यालय के बाहर जनता के लिए प्रमुख सूचना पट्ट पर चस्पा करने हेतु एक अतिरिक्त प्रति सहित।
11. जनसंपर्क अधिकारी, दिल्ली पुलिस स्थानीय प्रेसप्रसार हेतु-टेलीविजन में प्रचार/रेडियो/ 30 अतिरिक्त प्रतियाँ सहित।
12. जिलाधिकारी, दिल्ली को आदेश की एक प्रति सूचना पट्ट पर चस्पा कराने हेतु।
13. वित्त आयुक्त, दिल्ली के प्रधान पेशी क्लर्क को वित्त आयुक्त, दिल्ली के न्यायालय कक्ष के बाहर आदेश की एक प्रति चस्पा कराने हेतु।
14. समाचार सेवा निदेशक, आकाशवाणी प्रसारण हेतु।
15. निदेशक, सूचना एवं प्रचार, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार को 02 प्रतियाँ, प्रेस में प्रचार- प्रसार हेतु।
16. निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, मंडी हाउस, नई दिल्ली को टेलीविजन पर प्रसारण हेतु।
17. तहसीलदार, दिल्ली नई दिल्ली/को 22 तहसीलों के सूचना पट्टों पर चस्पा कराने हेतु (मंडलायुक्त के माध्यम से)।
18. ओएसडी, आयुक्त पुलिस, दिल्ली।
19. विधि सलहाकार, आयुक्त पुलिस, दिल्ली।
20. समस्त सहायक आयुक्त पुलिस/निरीक्षक/पुलिस मुख्यालय।
21. निजी सहायक आयुक्त पुलिस, दिल्ली।